सं. 57/01/2025-पी&पीडब्ल्यू(बी)/यूपीएस/10498

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

लोक नायक भवन, खान मार्केट,

नई दिल्ली, 18 जून, 2025

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 'सेवानिवृत्ति उपदान और मृत्यु उपदान' के हितलाभों का विस्तार - संबंधी।

अधोहस्ताक्षरी को वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग की दिनांक 24.01.2025 की अधिसूचना संख्या एफएस-1/3/2023-पीआर का संदर्भ देने का निदेश हुआ है, जो केंद्र सरकार की सिविल सेवा में भर्ती होने वाले कर्मचारियों के लिए एनपीएस के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में, दिनांक 01.04.2025 से, एकीकृत पेंशन योजना लागू करने के संबंध में है जिसके द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली(एनपीएस) के अंतर्गत कवर किए गए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन योजना(यूपीएस) के अंतर्गत कवर किए जाने के लिए एक बार का विकल्प दिया जाएगा।

2. तदनुसार, यह स्पष्ट किया जाता है कि एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारी, केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत उपदान का संदाय) नियम, 2021 के उपबंधों के अधीन 'सेवानिवृत्ति उपदान और मृत्यु उपदान' के हितलाभ के लिए पात्र होंगे।

3. इसे वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 03.06.2025 केआईडी नोट संख्या 1(18)/ईवी/2024 के परामर्श से जारी किया जाता है।

4. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(5) के अधीन यथाअधिदेशित, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।

(ध्रुवज्योति सेनगुप्ता)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
3. सी&एजी, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
4. रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड, सूचनार्थ, नई दिल्ली।
5. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
6. वित्तीय सेवाएं विभाग, जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली।
7. लेखा महानियंत्रक का कार्यालय, महालेखा नियंत्रक भवन, नई दिल्ली।
8. विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए एनआईसी।